



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20042021-226696
CG-DL-E-20042021-226696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1542]

नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 19, 2021/चैत्र 29, 1943

No. 1542]

NEW DELHI, MONDAY, APRIL 19, 2021/CHAITRA 29, 1943

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अप्रैल, 2021

का.आ. 1659(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 814 (अ) दिनांक 12.02.2019, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii) में दिनांक 12.02.2019 व् का. आ. 1082 (अ) शुद्धि पत्र दिनांक 09.03.2021, को प्रकाशित की गयी थी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात :

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में:-

गाँव का नाम का. आ. 814 (अ) दिनांक 12.02.2019 के अनुसार				संशोधित गाँव का नाम
जिला	तहसील	गाँव का नाम		गाँव का नाम
1	दौसा	रामगढ पचवारा	चांदपुर	चक चांदपुर

CALA द्वारा किए गए संशोधन ।

[फा. सं. NHAI/PIU-SWM-BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D Corr2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th April, 2021

S.O. 1659(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of section 3D of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 814 (E) dated 12.02.2019, published in the Gazette of the India Extraordinary, part II, Section 3, Sub section (ii), dated 12.02.2019 and S.O. 1082 (E) Corrigendum published in the Gazette of the India Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (ii), dated 09.03.2021.

In the Schedule to the said notification:

Village Name as per notification no. S.O. 814 (E) dated 12.02.2019			Amended village Name
District	Tehsil	Village Name	Village Name
Dausa	Ramgarh Pachwara	Chandpur	Chak Chandpur

Amendments made by CALA.

[F. No. NHAI/PIU-SWM-BM/DVE-RAJ/2018/LA/3D Corr2]

RAJESH GUPTA, Director